न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 33/2022 – प्रार्थना पत्र

1. वन्दना देवी पत्नि रितुराज पाण्डे निवासी पथिक नगर, बिजौलिया जिला भीलवाड़ा	बनाम	1. सचिव, ग्राम पंचायत उमा जी का खेड़ा, पंचायत समिति मांडलगढ जिला भीलवाड़ा। 2. विकास अधिकारी पंचायत समिति माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा।
–निगराकार		– गैर निगराकार

प्रार्थना पत्र बाबत कराये जाने पालना आदेश दिनांकित 26.09.2013 न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा

उपस्थित –

1. अधिवक्ता श्री अरविंद शर्मा – निगराकार की ओर से
2. अधिवक्ता श्री गोपाल अजमेरा – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से

निर्णय

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

दिनांक 25.11.2024

प्रार्थीया की ओर से यह प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :– प्रार्थीया ने एक निगरानी कमांक 89/2013 न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत दिनांक 22.04.2013 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि पत्रावली संख्या 48 दिनांकित 27.03.2003 के कम में ग्राम पंचायत उमाजी का खेड़ा तहसील बिजोलिया द्वारा श्रीमती ममता देवी पत्नी मुकेश कुमार जैन, निवासी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा के पक्ष में ग्राम फतहपुरा मे एक भूखण्ड नपती 100 गुणा 40 फीट का पट्टा जारी किया गया। प्रार्थीया ने निगरानी में यह निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने मे पंचायतीराज सामान्य नियम की कोई पालना नही की एवं 75 प्रतिशत चारागाह हिस्सा एवं 25 प्रतिशत हिस्सा नेशननल हाइवे 76 की भूमि में एवं चारागाह भूमि खसरा संख्या 381/10 में उक्त पट्टा कमांक 4491 श्रीमती ममता देवी पत्नी मुकेश कुमार जैन, के नाम जारी कर दिया जो नियमों के विरुद्ध होने से खारिज किया जाने योग्य है। न्यायालय द्वारा प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत की गयी निगरानी कमांक 89/2013 दिनांकित 22.04.2013 को स्वीकार फरमाकर दिनांक 26.09.2013 को यह आदेश पारित किया कि " निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायतीराज

जारी पट्टा संख्या 4491 निर्णय दिनांक 29.03.2004 पत्रावली संख्या 48 दिनांक 27.03.2003 भूखण्ड नपती 100 गुणा 40 फीट जो कि प्रार्थनापत्र में वर्णित पड़ौसों के मध्य स्थित है, के पट्टे को निरस्त कर भूखण्ड का कब्जा विपक्षी संख्या 01 ग्राम पंचायत उमाजी का खेड़ा द्वारा लिया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांकित 30.12.2019 को पेश किया गया जिसमें अंकित किया कि उक्त प्रकरण से संबंधित रिट वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में जैरकार हैं। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को आदेशित किया जावे कि न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा निगरानी संख्या 89/2013 मे पारित निर्णय दिनांक 26.09.2013 की पालना में विपक्षी संख्या 01 ग्राम पंचायत उमाजी का खेड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 4491 निर्णय दिनांक 29.03.2004 पत्रावली संख्या 48 दिनांक 27.03.2003 भूखण्ड नपती 100 गुणा 40 फीट जो कि प्रार्थनापत्र में वर्णित पड़ौसों के मध्य स्थित है, के पट्टे को निरस्त कर भूखण्ड का कब्जा विपक्षी संख्या 01 ग्राम पंचायत उमाजी का खेड़ा द्वारा लिया जावे।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रकरण में संबंध में एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में जैरकार हैं अतः पत्रावली का कार्यवाही स्थगित रखी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार पाया गया कि विपक्षी संख्या 01 के प्रार्थना पत्र दिनांकित 30.12.2019 अनुसार उक्त प्रकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका जैरकार हैं। जबकि इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 26.09.2013 को ही आदेश पारित किया जा चुका हैं, ऐसे में इस न्यायालय द्वारा नये सिरे से कोई अनुतोष पारित किया जाना न्यायोचित नही ठहरता है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया जावेगा, वह उभयपक्षों पर प्रभावी रहेगा।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव–

न्यायालय अति. जि. कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता हैं। इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 26.09.2013 को ही आदेश पारित किया जा चुका हैं, ऐसे में इस न्यायालय द्वारा नये सिरे से कोई अनुतोष पारित किया जाना न्यायोचित नही ठहरता है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया जावेगा, वह उभयपक्षों पर प्रभावी रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा